



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग 1-खण्ड (क)  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 13 दिसम्बर, 1976  
अग्रहायण 22, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार  
विधायिका अनुभाग--1

संख्या 5250/सत्रह-वि-1-135-76  
लखनऊ, 13 दिसम्बर, 1976

अधिसूचना  
द्विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 पर दिनांक 7 दिसम्बर, 1976 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 56, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1976

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 56, 1976]  
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

संक्षिप्त नाम

(2) यह दिनांक 6 अगस्त, 1976 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

2--उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1961, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 6 में, उपधारा (4) में, खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :--

उत्तर प्रदेश अधि-  
नियम संख्या 1,  
1961 की धारा  
6 का संशोधन

“(1) ऐसी भूमि के सम्बन्ध में धारा 14 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रतिस्थापन के साथ लागू होंगे कि उक्त धारा की उपधारा (1) में उल्लिखित

दिनांकों के प्रति निर्देशों के स्थान पर इस धारा की उपधारा (1) में उल्लिखित दिनांक के प्रति निर्देश संपन्ना जायगा; और”

धारा 13-क का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 13-क में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक “धारा 14 की उपधारा (1)” के स्थान पर शब्द और अंक “धारा 14 की उपधारा (4)” रख दिये जायेंगे।

धारा 14 का प्रतिस्थापन

4—मूल अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—  
“14—(1) कलेक्टर—

(क) उस दशा में जहां धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन दिया गया आदेश अन्तिम हो गया हो, वहां उसके अन्तिम होने के दिनांक; या

(ख) उस दशा में, जहां धारा 13 के अधीन कोई अपील न की गयी हो, वहां उसके लिये व्यवस्थित परिसीमाकाल की समाप्ति के दिनांक; या

(ग) उस दशा में, जहां धारा 13 के अधीन कोई अपील प्रस्तुत की गयी है, वहां उस पर निर्णय के दिनांक;

के पश्चात् किसी समय धारा 11, धारा 12 या धारा 13 के अधीन अधिधारित अतिरिक्त भूमि पर और किसी असंगृहीत फसल या वृक्षों के फल पर भी, जो ऐसी फसल या फल न हो, जिस पर धारा 15 की उपधारा (1) लागू होती हो, किसी व्यक्ति को, जिसके अध्यासन में ऐसी भूमि, फसल या फल हो, बंदखत करने के पश्चात् कब्जा कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, खातेदार किसी समय कलेक्टर को अपने द्वारा धृत सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग का कब्जा स्वेच्छा से दे सकता है, जिसे अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अतिरिक्त भूमि घोषित किया गया हो या जिसके घोषित किये जाने की सम्भावना हो।

(3) जहां कलेक्टर ने उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी अतिरिक्त भूमि या असंगृहीत फसल या वृक्षों के फल पर कब्जा ले लिया हो, वहां उपधारा (1) के खण्ड (क), खण्ड (ख), अथवा, जैसी भी दशा हो, खण्ड (ग) में अभिविष्ट दिनांक से ऐसी भूमि, फसल या वृक्षों के फल समस्त भार से मुक्त होकर राज्य सरकार को अन्तरित और उत्तम निहित हो जायेंगे और उस दिनांक से उस भूमि में समस्त व्यक्तियों के समस्त अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि भार, यदि कोई हो, अतिरिक्त भूमि के स्थान पर धारा 17 के अधीन देय राशि से सम्बद्ध हो जायगा।

(4) नियत प्राधिकारी उपधारा (1) के, यथास्थिति, खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) में उल्लिखित दिनांक के पश्चात्, यथाशीघ्र, इस अधिनियम के अधीन, या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 9 के अधीन या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 31 के अधीन अधिधारित सभी अतिरिक्त भूमि सरकारी गजट में अधिसूचित करेगा।”

धारा 15 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 15 में, उपधारा (1) में:—

(क) शब्द और अंक “धारा 14 की उपधारा (8)” के स्थान पर शब्द और अंक “धारा 14 की उपधारा (1)” रख दिये जायेंगे;

(ख) स्पष्टीकरण में, शब्द “अधिसूचना के दिनांक” के स्थान पर शब्द “अतिरिक्त भूमि का कब्जा लेने के दिनांक” रख दिये जायेंगे।

धारा 16 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 16 में, शब्द और अंक “की उपधारा (8)” निकाल दिये जायेंगे, और शब्द “उक्त उपधारा के प्रतिबन्धात्मक खण्ड” के स्थान पर शब्द “उक्त धारा” रख दिये जायेंगे।

धारा 17-ख का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 17-ख में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक “की उपधारा (2)” निकाल दिये जायेंगे।

धारा 22 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 22 में, उपधारा (2) में, शब्द और अंक “की उपधारा (8)” निकाल दिये जायेंगे।

धारा 35 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (2) में, शब्द और अंक “की उपधारा (8)” निकाल दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

10—(1) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही इस प्रकार समझी जायगी, मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

No. 5250 (2)/XVII-V-1—135-76

Dated Lucknow, December 13, 1976

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Adhikatan Jot-Seema Aropan (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 56 of 1976), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on December 7, 1976:

THE UTTAR PRADESH IMPOSITION OF CEILING ON LAND HOLDINGS (SECOND AMENDMENT) ACT, 1976

[ U. P. Act No. 56 OF 1976 ]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN  
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings (Second Amendment) Act, 1976.

Short title.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 6, 1976.

2. In section 6 of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (4) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely :—

Amendment of section 6 of U.P. Act 1 of 1961.

“(i) the provisions of section 14 shall *mutatis mutandis* apply in relation to such land with the substitution of references to the dates mentioned in sub-section (1) of that section by references to the date mentioned in sub-section (1) of this section ; and”

3. In section 13-A of the principal Act, in sub-section (1), for the words and figures “sub-section (1) of section 14”, the words and figures “sub-section (4) of section 14” shall be substituted.

Amendment of section 13-A.

4. For section 14 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

Substitution to section 14.

“14. (1) The Collector shall at any time after—

(a) in case, where the order passed under sub-section (1) of section 11 has become final, the date of its so becoming final ; or

(b) in case, where no appeal has been preferred under section 13, the date of expiry of the period of limitation provided therefor ; or

(c) in case, where an appeal has been preferred under section 13, the date of its decision ;

take possession of the surplus land determined under section 11, section 12 or section 13 and also of any ungathered crop or fruits of trees, not being crops or fruits to which sub-section (1) of section 15 applies, after evicting any person found in occupation of such land, crops or fruits and may for that purpose use or cause to be used such force as may be necessary.

(2) Notwithstanding any thing contained in sub-section (1) a tenure-holder may, at any time, voluntarily deliver possession to the Collector over the whole or any part of the land held by him which has been or is likely to be declared surplus under or in accordance with the provisions of the Act.

(3) Where the Collector has taken possession of any surplus land or ungathered crops or fruits of trees under sub-section (1) or sub-section (2) such land, crops or fruits of trees shall, with effect from the date referred to in clause (a), clause (b) or clause (c), as the case may be, of sub-section (1), stand transferred to and vest in the State Government free from all encumbrances and all rights, title and interests of all persons in such land shall, with effect from such date, stand extinguished :

Provided that the encumbrances, if any, shall attach to the amount payable under section 17 in substitution for the surplus land.

(4) The prescribed authority shall, as soon as may be after the date mentioned in clause (a), clause (b) or clause (c), as the case may be, of sub-section (1), notify in the official *Gazette* every surplus land determined under this Act, or under section 9 of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 1974 or under section 31 of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 1976."

Amendment of section 15.

5. In section 15 of the principal Act, in sub-section (1) —
- (a) for the words and figures "sub-section (8) of section 14", the words and figures "sub-section (1) of section 14" shall be *substituted*,
- (b) in the Explanation, for the words "the date of the notification", the words "the date of taking possession of the surplus land" shall be *substituted*.

Amendment of section 16.

6. In section 16 of the principal Act, the words and figure, "under sub-section (8) of " shall be *omitted*, and for the words "the proviso to the said sub-section", the words "the said section" shall be *substituted*.

Amendment of section 17-B.

7. In section 17-B of the principal Act, in sub-section (1), the words and figure "sub-section (2) of" shall be *omitted*.

Amendment of section 22.

8. In section 22 of the principal Act, in sub-section (2), the words and figure "sub-section (8) of" shall be *omitted*.

Amendment of section 35.

9. In section 35 of the principal Act, in sub-section (2), the words and figure "sub-section (8) of" shall be *omitted*.

Repeal and savings.

10. (1) The Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings (Second Amendment) Ordinance, 1976 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if this Act were in force at all material times.

ब्रह्मा से,  
कैलाश नाथ गोयल,  
सचिव ।

U.P. Ordinance No. 23 of 1976.